<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u> 01.07.2017

दिनांक 01, अगस्त, 2017 को मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार द्वारा लागू की गयी नई (जी.एस.टी.) कर व्यवस्था के प्रयोगात्मक ज्ञान के लिए "***<u>जी.एस.टी. पर एक प्रशिक्षण सत्र</u>***" का आयोजन किया।

मर्चेंट्स चैम्बर के कौंसिल मेम्बर श्री अतुल कनोडिया ने समस्त प्रतिभागियों एवं मीडिया कर्मियों का धन्यवाद दिया तथा बताया कि आज की कार्यशाला जी.एस.टी. कर व्यवस्था को समझाने हेतु जी.एस.टी. विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रतिभागियों को जी.एस.टी. का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे अकाउंट का उपयोग करने वाले लोगों को आ रही समस्याओं का निवारण किया जा सके। श्री जैन ने आये हुए वक्ता अधिवक्ता अमित अवस्थी व् उनकी टीम को आमंत्रित किया कि वह प्रतिभागियों को संबोधित करें।

अधिवक्ता अमित अवस्थी व् उनकी टीम के सदस्यों (सी.ए. संदीप सरोगी, अधिवक्ता वैभव दिछित व् अधिवक्ता प्रणव मित्तल) ने जी.एस.टी. इनवॉइस व् रिटर्न फिलिंग पर आये हुए प्रतिभागियों को संबोधित किया।

उन्होंने अकाउंटिंग का उपयोग कर इनवॉइस बनाने तथा इनवॉइस बनाने के पश्चात जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने के सम्बन्ध में पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति दिया। वक्ताओं ने जी.एस.टी. के विभिन्न प्रावधानों, सप्लाई करने पर जी.एस.टी. के कर का प्रतिशत, कम्पोजीशन लेवी, सप्लाई का स्कोप, रिवर्स चार्जेस, ITC (Input Tax Credit) का रिफण्ड, जी.एस.टी. में फाइल होने वाले मासिक रिटर्न, व् अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को क्रमबद्ध तरीके से समझाया।

वक्ताओ ने बताया कि जी.एस.टी. की टैक्स इनवॉइस जारी करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का इनवॉइस में होना अतिआवश्यक है:

:- इनवॉइस नंबर
:- HSN कोड का वर्गीकरण
:- वस्तु अथवा सेवा कर की ट्रांसजेकशन वैल्यू
:- नेट अमाउंट (डिस्काउंट काटने के बाद)
:- टोटल अमाउंट
:- ट्रांजेक्शन की वस्तू अथवा सेवा,जो भी सप्लाई की जा रही हो
:- रेसीपियट का नाम व् एड्रेस
:- डिस्काउंट जो भी दिया रहा हो
:- फ्रेट (भाड़ा) अमाउंट
:- जी.एस.टी. कर का प्रतिशत (जो कि एस.जी.एस.टी., सी. जी.एस.टी. व् आई.जी.एस.टी. के रूप में अलग-अलग दर्शाया गया हो)

श्री अमित अवस्थी ने बताया कि सरकार का तात्पर्य लागू कर व्यवस्था से कर विभाग व् करदेयता के बीच में विसंगति (discrepancy) को खत्म करना है, जो कि पिछली कर व्यवस्था में कहीं न कहीं व्याप्त थी, व् समन्वय को बढाना है, इसके लिये जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर GST MIS (Mistake Information) फॉर्म का भी प्रावधान है ।

अधिवक्ता अमित अवस्थी ने बताया की हम मर्चेंट्स चैम्बर में जी.एस.टी. की अगली कार्यशाला पुनः आयोजित करेंगे जिसमें जी.एस.टी. के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं व् सेवाओं के एच.एस.एन. कोड तथा अन्य अतिमहत्वपूर्ण बिन्दुओ को समझाया जाएगा।

आयोजित प्रशिक्षण सत्र में आये हुए प्रतिभागियों ने वक्ताओं से जी.एस.टी. कर व्यवस्था व् उसके क्रियान्वन से सम्बंधित प्रशन पूछे व् अपनी शंकाओं का समाधान किया।

उक्त प्रशिक्षण सत्र में श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री एस.सी. गर्ग, श्री ए.के. सिन्हा, सचिव, एम.सी.यू.पी., श्री वाई. एस. गर्ग, जे.के. सीमेंट, सुपर टेंनरी लिमिटेड, रिमझिम इस्पात, हिल्तेक्स इंडस्ट्रियल, रहमान इंडस्ट्रीज लि. आदि संस्थानों के प्रतिनिधि, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अन्य सदस्यगण, उनके सहकर्मी तथा उनके संस्थान में कार्यरत लेखाकार महोदय उपस्थित थे।

सधन्यवाद
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश